RAJASTAHAN PATRIKA N.D 24/11/18

अपोलो टायर्स पर 65 लाख रुपए का जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को शेयरों की दोबारा खरीद (बॉयबैक) के नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपोलो टायर्स पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने जनवरी 2017 में सेबी क़ी ओर से अपोलो टायर्स पर लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को खारिज कर नियामक को नए सिरे से आदेश देने को कहा था। न्यायाधिकरण के मुताबिक जुर्माना राशि सेबी कानून के तहत निर्धारित रकम से ज्यादा थी।